

Mu  
OK

पत्रांक-कारा/बजट-(मं0)-02-03/16-85

बिहार सरकार  
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय  
गृह विभाग (कारा)।

प्रेषक,

आनन्द किशोर,  
महानिरीक्षक,  
कारा एवं सुधार सेवाएँ  
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक,  
मंडल कारा, जहानाबाद।

पटना, दिनांक-12/01/2017।

विषय:-मुख्य शीर्ष-2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्यशीर्ष-00, मांग सं0-22, लघुशीर्ष-101 जेल, उपशीर्ष-0002 जिला जेल के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में आकस्मिक मद (विद्युत प्रभार) की निकासी हेतु ₹20,00,000 (बीस लाख रुपये मात्र) का अतिरिक्त आवंटन।

विपत्र कोड-N2056001010002

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक-ब17/बी0एस0जी0-18/2016-423/वि0 दिनांक-31.03.16, पत्रांक-एम0-4-09/2014-4572/वि0 दिनांक-03.06.2016 एवं ज्ञाप संख्या-2561/वि0 (2) दिनांक-17.04.98 तथा अधीक्षक, मंडल कारा, जहानाबाद के पत्रांक-1316 दिनांक-07.08.2016 द्वारा प्राप्त अधियाचना के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु आकस्मिक मद (विद्युत प्रभार) में निम्नवत अतिरिक्त राशि का आवंटन स्वीकृत किया जाता है :-

क्र	कारा का नाम	कूट सं0 एवं मद	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शब्दों में
1.	मंडल कारा, जहानाबाद	13 04 विद्युत प्रभार	946000	2000000	2946000	उनतीस लाख छियालीस हजार रुपये मात्र
	कुल		946000	2000000	2946000	उनतीस लाख छियालीस हजार रुपये मात्र।

(बीस लाख रुपये मात्र)

2. उक्त आवंटन की स्वीकृति मुख्य शीर्ष-2056 जेल (गैर योजना), लघु शीर्ष-101 जेल, मांग सं0-22, उपशीर्ष-0002 जिला जेल (विपत्र कोड-N2056001010002) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में बजट उपबंधित राशि के अंतर्गत दी जा रही है।

3. इस आवंटन के अंतर्गत किये जाने वाले व्यय में, बिहार वित्तीय नियमावली, वित्तीय नियमावली 2005 (संशोधित) एवं इनके अंतर्गत निर्गत समस्त नियमों, अनुदेशों तथा वित्त विभाग के ज्ञाप सं0-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998 में निहित अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा आवंटित राशि के व्यय पर कठोर नियंत्रण रखने, मितव्ययिता बरतने तथा वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु वित्त विभाग सहित विभागीय आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4. इस राशि का विकलन मुख्य शीर्ष-2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101 जेल, मांग सं0-22, उपशीर्ष-0002 जिला जेल के तहत होगा। काराधीक्षक को निदेश दिया जाता है कि विपत्रों पर मांग संख्या-22 विपत्र कोड-N2056001010002 में अंकित कूट संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाय, अन्यथा संबंधित कोषागार द्वारा विपत्रों को पारित नहीं किया जायेगा। इसका अनुपालन सख्ती से किया जाय।

5. सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थानों को भुगतान में प्राथमिकता दी जाय।

चन्द्रदेव राम  
सहायक

मौ. जमाबुद्दीन अंधारी  
उपपदा

21/01/17/168  
उपनिदेशक (बजट एवं लेख)

6. प्रत्येक मद में आवंटित राशि से अधिक का व्यय किसी भी परिस्थिति में न किया जाय तथा एक मद से दूसरे मद में राशि का विचलन नहीं किया जाय।

7. प्रत्येक माह की 10 (दस) तारीख तक मासिक व्यय की ईकाईवार विवरणी टी.भी. नम्बर के साथ अनिवार्य रूप से निरीक्षणालय में उपलब्ध करा दिया जाय। व्यय विवरणी में पूर्व माह का व्यय, वर्तमान माह का व्यय एवं कुल अद्यतन व्यय का उल्लेख अवश्य किया जाय। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बरतने अथवा विलम्ब होने पर इसे वित्तीय अनियमितता मानते हुए आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है।

विश्वासभजन

महानिरीक्षक,  
कारा एवं सुधार सेवाएँ  
पन्ड्रेव बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 12.01.2017।

मौ. जमालुद्दीन अंसारी 21/01/17

ज्ञापांक-कारा/बजट-(मं0)-02-03/16-85

प्रतिलिपि:-महालेखाकर, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,

कारा एवं सुधार सेवाएँ  
पन्ड्रेव बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 12.01.2017।

मौ. जमालुद्दीन अंसारी 21/01/17

ज्ञापांक-कारा/बजट-(मं0)-02-03/16-85

प्रतिलिपि:-प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया/जिला पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,

कारा एवं सुधार सेवाएँ  
पन्ड्रेव बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 12.01.2017।

मौ. जमालुद्दीन अंसारी 21/01/17

ज्ञापांक-कारा/बजट-(मं0)-02-03/16-85

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,

कारा एवं सुधार सेवाएँ  
पन्ड्रेव बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 12.01.2017।

मौ. जमालुद्दीन अंसारी 21/01/17

ज्ञापांक-कारा/बजट-(मं0)-02-03/16-85

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,

कारा एवं सुधार सेवाएँ  
पन्ड्रेव बिहार, पटना।

मौ. जमालुद्दीन अंसारी 21/01/17